न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 62/2022 GCMS No.–2022/122

रामजीवण पुत्र श्री कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम गोठडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।

...अपीलांट

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र रामनिवास
2. सीताराम पुत्र रामनिवास
3. गिरधारी पुत्र रामनिवास
4. राजाराम पुत्र रामनिवास
5. राधेश्याम पुत्र केसरा,
6. बिरदा पुत्र केसरा,
7. तुलसीराम पुत्र केसरा,

   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम गोठडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार महोदय बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 08.06.1992 जिसके माध्यम से तहसीलदार बस्सी द्वारा ग्राम गोठडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित विवादित भूमि का इकरारनामें के आधार पर विभाजन किये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

उपस्थितः–
1. श्री कुलदीप शर्मा, पी.आर.शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजकुमार शर्मा रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 7 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.01.2023

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 08.06.1992 जिससे ग्राम गोठडा, तहसील बस्सी स्थित भूमि कुल किता 36 कुल रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा के तकासमा आदेश किये गये से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.08.2022 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या– 08 की ओर से पैरोकार सरकार श्री प्रहलाद रावत उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पांडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता रामनिवास व रेस्पाडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 द्वारा आपस में साज कर अपीलांट के पिता स्व. कल्याण के अनपढ एवं मानसिक स्थिति खराब होने का फायदा उठाते हुए खाली कागजो पर अपीलांट के पिता की अंगूठी निशानी लगवा कर रेस्पाडेन्ट संख्या 8 के यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

इकरारनामें के आधार पर ही तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 08.06.1992 को अपीलाधीन भूमि का आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलांट के पिता कल्याण द्वारा कभी विभाजन हेतु स्वतन्त्र सहमति नहीं दी गयी, ना ही उक्त विभाजन पत्र एवं रेस्पा0 संख्या 8 के आदेश की पालना कभी मौके पर हुई, जिस कारण अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान अपीलाधीन भूमि के नये खसरा नंबरान बनाये गये तथा मौके पर जो काश्तकार जिस खसरे पर काबिज था, उसी के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गयी तथा उक्त राजस्व नक्शे में सही तरमीम को अपने मनमुताबिक दुरूस्त करवाने बाबत रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रेस्पा0 संख्या 5 लगायत 7 से मिल अर्न्तगत धारा 111, 128, 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष दावा बउनवानी गोपाल लाल व अन्य पेश किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाया गया। उक्त दावे के कारण अपीलांट को अपीलाधीन तकासमा आदेश की जानकारी दिनांक 09.05.2022 को हुई। अपीलाधीन तकासमा आदेश में पटवारी व तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 08.06.1992 को आदेश पारित किये गये जबकि गिरदावर हल्का के हस्ताक्षर दिनांक 09.06.1992 को किये गये। तहसीलदार बस्सी द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट आने से पूर्व ही बिना मौके की विधिवत जांच किये फर्जी सहमति पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के पिता अनपढ व्यक्ति थे तथा उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी इसलिए अपीलांट के पिता द्वारा कोई सहमति नहीं दी गयी एवं ना ही कथित सहमति के आधार पर कभी मौके पर बंटवारा हुआ है। नक्शे में तरमीम कब्जे के आधार पर की जा चुकी है इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 08.06.1992 मौके की स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी का तकासमा आदेश दिनांक 08.06.1992 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा तकासमा आदेश दिनांक 08.06.1992 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है, जो प्रथम दृष्टया लिमिटेशन के बाहर होने से खारिज योग्य है। विभाजन पत्र पर अपीलांट के पिता स्व. कल्याण के हस्ताक्षर है एवं अपीलांट के पिता ने विभाजन पत्र पर सहमति प्रदान की है। स्व. कल्याण के फौत होने पर अपीलांट के नाम से विरासत का नामान्तकरण खुल चुका है एवं वर्ष 2014 में अपीलांट द्वारा इसी भूमि पर बैंक से लोन लिया गया है। अपील अपीलांट प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की है अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश तहसीलदार बस्सी द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा वकील रेस्पाडेन्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट के पिता की दौराने तकासमा सहमति नहीं थी एवं मौके पर काबिज स्थिति अनुसार तकासमा नहीं किये जाने से अपीलाधीन तकासमा आदेश निरस्त किया जावे। परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि मौका स्थिति अनुसार तकासमा आदेश पारित नहीं किया गया तथा अपीलांट के पिता की दौराने तकासमा मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों अनुसार अपीलाधीन तकासमा आदेश उपरान्त स्व. कल्याण के हिस्से में आयी भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 6 आदेश दिनांक 20.12.2004 द्वारा अपीलांट के हक में तस्दीक किया गया एवं अपीलांट द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि को बैंक में मूर्तहीन भी रखा गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलाधीन तकासमे उपरान्त स्व. कल्याण के हिस्से में आयी भूमि के बारे में अपीलांट को बखूबी जानकारी रही है एवं अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष पेश किये गये तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट के पिता स्व. कल्याण व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं रेस्पाडेन्ट 5 लगायत 7 के मध्य मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु सहमति तहसीलदार बस्सी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसके आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा राजस्थान काश्तकारी की अधिनियम की धारा 53 (2) (1) अनुसार खातेदार काश्तकारो की सहमति के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा तकासमा आदेश दिनांक 08.06.1992 को पारित किया गया। अपीलांट के पिता स्व. कल्याण की तकासमे के दौरान की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही में निर्धारित स्थान पर अंगूठा निशानी है एवं अन्य खातेदारो काश्तकारो के भी हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार बस्सी द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार एवं नियमानुसार अपीलाधीन तकासमे की कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है, इसलिए अपीलाधीन तकासमा को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर